न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपीलः 28/2018

दायर दिनांकः 18.09.2018

निर्णय दिनांक 27.01.2020

—:अनवानः—

1. श्री पुरा पिता नाथु भील निवासी पुठोल, तहसील व जिला राजसमन्द

————अपीलांट

—:बनामः—

1. श्री रूपा पिता नाथु भील निवासी पुठोल, तहसील व जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द

————रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 723 तहसीलदार, राजसमन्द (प्रशासन गावॅ के संग अभियान 2001) दिनांक 25.10.2001

उपस्थितः—

1— श्री दुर्गा शंकर बैरवा, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री सम्पत लाल लढढा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01

3— श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02

—::निर्णयः::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। राजस्व ग्राम पुठोल, पटवार हल्का पुठोल, तहसील व जिला राजसमन्द में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य की खातेदारी आराजी नं0 1885, 1886, 1901 से 1904 तक कुल किता—06 कुल रकबा 07.3 बीघा भूमि के संबंध में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 723 दिनांक 25.01.2001 को चूनौति दी गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगण को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद प्रतीत नही होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन नही किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेन्ट तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि राजस्व ग्राम पुठोल, पटवार हल्का पुठोल, तहसील व जिला राजसमन्द में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य की खातेदारी आराजी नं0 1885, 1886, 1901 से 1904 तक कुल किता—06 कुल रकबा 07.3 बीघा भूमि के संबंध में प्रशासन गावॅ के संग अभियान 2001 के तहत अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भूमि का बॅटवारा कर नामान्तरकरण खुलवाने का आवेदन पेश किया। उक्त भूमि में अपीलांट का आधा

हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का आधा हिस्सा हैं। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने पटवारी से मिलकर अपने नाम पर आधे से ज्यादा भूमि अपने नाम अंकित करवा नामान्तरकरण खुलवा दिया। अतः उक्त स्वीकृत नामान्तरण संख्या 723 दिनांक 25.01.2001 को निरस्त फरमाया जाकर भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम पर आधी–आधी करवाई जावें तथा उक्त नामान्तरकरण को रिमाण्ड फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा बहस कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपील में यह स्वीकार किया है कि उन्होने प्रशासन गावॅ के संग अभियान 2001 में नामान्तरकरण खोलने का आवेदन प्रस्तुत किया था तथा उसी समय नामान्तरण खोल दिया गया तथा उभयपक्ष पृथक–पृथक काबिज होकर अपनी–अपनी भूमियों पर खा कमा रहे व विकसित कर रहे हैं। अपीलार्थी का यह कहना कि 2001 के नामान्तरण की जानकारी सितम्बर 2019 में 18 वर्षो के पश्चात हुई, पूर्णतया मिथया गलत व अस्वीकार योग्य हैं तथा 18 वर्षो बाद नामान्तरण को गलत बताना कपट पूर्ण हैं।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेन्ट तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण तहसीलदार राजसमन्द द्वारा जारी बंटवारे के आदेश पर दर्ज किया। जो 2001 में खोला गया था। उक्त नामान्तरण में कोई विधिक त्रुटि नही पाई जाती है क्योकि उक्त बॅटवारा पक्षकारान की आपसी सहमती के आधार पर हुआ था। साथ ही अपीलार्थी द्वारा उक्त बटॅवारे के आधार पर स्वीकृत नामान्तरण की अपील 17 वर्ष के बाद प्रस्तुत की हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाकर खारिज की जाती है। तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 723 दिनांक 25.10.2001 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)